

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 414] दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 9, 2017/कार्तिक 18, 1939 [रा.रा.क्षे.दि. सं. 330
No. 414] DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 9, 2017/KARTIKA 18, 1939 [N.C.T.D. No. 330

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 9 नवम्बर, 2017

सं. 45/2017-राज्य कर

सं. फा. 3(41)/वित्त(राजस्व-1)/2017-18/डीएस-VI/720.— राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का दिल्ली अधिनियम 03) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली माल और सेवाकर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली माल और सेवाकर (नौवां संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) यह नियम 13 अक्टूबर 2017 से प्रवृत्त होंगे।

2. दिल्ली माल और सेवाकर नियम, 2017 में,-

(i) नियम 3 में, उपनियम (3क) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(3क) उपनियम (1), उपनियम (2) और उपनियम (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जिसे नियम 24 के अधीन अनंतिम आधार पर रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त किया गया है या जिसे नियम 10 के उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है, धारा 10 के अधीन उस मास के, जिसमें उसने सामान्य पोर्टल पर या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से 31 मार्च, 2018 को या उससे पूर्व प्ररूप जीएसटी सीएमपी-02 में संसूचना फाइल करता है, के तुरंत उत्तरवर्ती मास की पहली तारीख से कर का संदाय करने का विकल्प ले सकेगा और वह नियम 44 के उपनियम (4) के उपबंधों के अनुसार प्ररूप जीएसटी

(vii) प्ररूप जीएसटीआर-1क में सारणी 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“4 एसईजेड को की गई शून्य दर पूर्तियां और माने गए निर्यात

प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	बीजक के ब्यौरे			एकीकृत कर			उपकर
	सं.	तारीख	मूल्य	दर	कराधेय मूल्य	कर रकम	
1	2	3	4	5	6	7	8
4क. एसईजेड इकाई या एसईजेड विकासकर्ता को की गई पूर्तियां							
4ख. माना गया निर्यात							
							”;

(viii) प्ररूप जीएसटी आर-4 में, अनुदेश सं. 9 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"10. जुलाई, 2017 से सितंबर, 2017 और अक्तूबर, 2017 से दिसंबर, 2017 कर अवधि के लिए सारणी 4 की क्रम सं. 4क प्रस्तुत नहीं की जाएगी।"

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ए. के. सिंह, उप सचिव-VI (वित्त)

टिप्पणी : मूल अधिसूचना, दिल्ली सरकार के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना दिनांक 22 जून, 2017 को सं.फा. 03(10) /वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/342, दिनांक 22 जून, 2017, को प्रकाशित हुई थी एवं पिछली बार उस में संशोधन अधिसूचना संख्या 36/2017-राज्य कर, दिनांक 9 नवम्बर, 2017 को हुआ था।

FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 9th November, 2017

No. 45/2017-State Tax

No. F. 3(41)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/720.— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following rules further to amend the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: —

1. (1) These rules may be called the Delhi Goods and Services Tax (Ninth Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force with effect from 13th October, 2017.

2. In the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, —

(i) in rule 3, for sub-rule (3A), the following sub-rule shall be substituted, namely: —

“(3A) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1), (2) and (3), a person who has been granted registration on a provisional basis under rule 24 or who has been granted certificate of registration under sub-rule (1) of rule 10 may opt to pay tax under section 10 with effect from the first day of the month immediately succeeding the month in which he files an intimation in **FORM GST CMP-02**, on the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner, on or before the 31st day of March, 2018, and shall furnish the statement in **FORM GST ITC-03** in accordance with the provisions of sub-rule (4) of rule 44 within a period of ninety days from the day on which such person commences to pay tax under section 10:

4B. Deemed exports							

”;

(viii) in **FORM GSTR-4**, after instruction no.9, the following shall be inserted, namely: —

“10. For the tax periods July, 2017 to September, 2017 and October, 2017 to December, 2017, serial 4A of Table 4 shall not be furnished.”.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,

A. K. SINGH, Dy. Secy. VI (Finance)

Note : The principal rules were published in Delhi Gazette, Extraordinary, Part-IV, dated 22nd June, 2017 vide Notification No.F.3(10)/Fin.(Rev.-I)/2017-18/DS-VI/342 dated 22.06.2017 and last amended vide Notification No.36/2017-State Tax dated 09.11.2017.